



JALAUN POLICE

दिनांक – 08.07.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में थाना डकोर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण कर घटना से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगण को 15 अदद सोलर प्लेट (चोरी की) व 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 06.07.2025 को वादी द्वारा थाना डकोर में तहरीरी सूचना दी गयी की अज्ञात चोरों द्वारा एस0जे0वी0एन0 75 MW सोलर पावर प्लाट गुढा थाना डकोर जनपद जालौन से 20 माडूल (सोलर प्लेटे) चोरी कर लिये गये हैं। जिसके सम्बन्ध में के आधार पर थाना डकोर में मु0अ0सं0 83/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु थाना प्रभारी डकोर को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में दिनांक 07.07.2025 को थाना डकोर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर/वांछित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी एवं चैकिंग के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर ग्राम मुहम्मदाबाद बंधौली रोड पर बने ऐर नहर पुलिया के पास से 04 अभियुक्तगण को 15 अदद सोलर प्लेट, 01 अदद मोटरसाइकिल व 03 अदद मोबाइल व 870/- रुपये नगद के साथ गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

अभियुक्तगण से माल बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डकोर में पंजीकृत अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. गौरव सिंह पुत्र स्व0 जगपाल सिंह निवासी मुहल्ला गांधीनगर कोतवाली कोंच जनपद जालौन उम्र करीब 23 वर्ष
2. ब्रजकिशोर उर्फ लला उर्फ विवेक पुत्र रघुवर सिंह निवासी ग्राम रूरा थाना रेंदर जनपद जालौन हाल निवासी मुहल्ला गांधीनगर कोतवाली उरई जनपद जालौन उम्र करीब 23 वर्ष
3. विवेक राजपूत पुत्र रविन्द्र राजपूत निवासी ग्राम ऐर थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 20 वर्ष
4. समीर खाँ पुत्र इस्लाम खाँ नि0 ग्राम ऐर थाना डकोर जनपद जालौन उम्र करीब 22 वर्ष

अभि0 समीर खाँ उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 657/2023 धारा 411, 413, 414, 420, 467, 468, 471 भादवि कोतवाली उरई जनपद जालौन,
2. मु0अ0सं0 997/2023 धारा 366 भादवि कोतवाली उरई जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण-

1. 15 अदद सोलर प्लेट
2. 01 अदद मोटर साइकिल पल्सर बिना नम्बर प्लेट (धारा 207 एमवीएक्ट में सीज)
3. 03 अदद मोबाइल फोन
4. नगद धनराशि 870 रुपये।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 थाना डकोर मय टीम।